



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1099]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 11, 2012/ज्येष्ठ 21, 1934

No. 1099]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 11, 2012/JYAISTHA 21, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2012

का.आ. 1319(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सशस्त्र सीमा बल को इस प्रभाव से सशक्त करती है कि पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 13 और धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ और किसी पुलिस अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्य, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा के साथ चल रही उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में 15 किलोमीटर की मेखला के भीतर आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर सशस्त्र सीमा बल में उपनिरीक्षक की पक्ति से अन्यून अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे और ये शक्तियाँ उन व्यक्तियों की बाबत जो भारत, नेपाल या भूटान के नागरिक नहीं हैं, सशस्त्र सीमा बल द्वारा प्रयोग की जा सकेंगी।

[फा. सं. III-11039/40/2009-जी (वाल. I)]

नीरज कंसल, निदेशक

S.O. 1319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby empowers the Sashastra Seema Bal to the effect that the powers conferred and duties imposed on a police officer by Section 13 and Section 14 of the Passport Act, 1967 (15 of 1967), shall be the powers and duties of officers not below the rank of Sub-Inspector in the Sashastra Seema Bal within the limits of the areas falling within a belt of 15 Kilometers in the States of Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Sikkim, Assam and Arunachal Pradesh, running along the Indo-Nepal and Indo-Bhutan Border and these powers shall be exercised by the Sashastra Seema Bal in respect of the persons who are not the citizens of India, Nepal or Bhutan.

[F. No. III-11039/40/2009-G (Vol. I)]

NEERAJ KANSAL, Director